

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या

डी0 एल0 ए0 नालन्दा

पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-दामोदरपुर बल्धा परगना-पिलिच, थाना नं0-208 थाना-हिलसा, जिला नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् दनियावॉ-बिहारशरीफ बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-दामोदरपुर बल्धा, थाना नं0-208 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 11.855 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खसरा संख्या निम्नांकित है:- खसरा सं0- 2058, 2059, 2060, 2061, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2122, 2136, 2137, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2153, 2154, 2155, 2172, 2173, 2174, 2175, 2381, 2621, 2655, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2683, 2684, 2685, 2688, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701 एवं 2702 सभी अंश तथा खसरा सं0- 2102 एवं 2139 सभी पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर -- खसरा सं0 2110, 2109, 2113, 2114, 2175, 2173, 2151, 2153, 2700, 2699, 2675, 2669, 2655 एवं 2381 सभी अंश।

पूरब :- सीवाना मौजा-मोहीउद्दीनपुर थाना नं0-203


दक्षिण :- खसरा सं0 2058, 2059, 2060, 2061, 2099, 2098, 2097, 2096, 2094, 2118, 2119, 2120, 2148, 2122, 2143, 2136, 2137, 2701, 2702, 2697, 2698, 2688, 2673, 2685, 2684, 2683, 2678, 2677, 2676, 2655 एवं 2381 सभी अंश।


पश्चिम :- सीवाना मौजा-महानंदपुर थाना नं0-43

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा- (2) में यथा उपबन्धित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।


जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा


समाहर्ता,
नालन्दा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

१०


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक: 2855/रा.डी0 एल0ए0- नालन्दा, दिनांक-10-12-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव